समाचार-प्रकाशनार्थ:-

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली टी.एल. बैठक

रतलाम 22 दिसम्बर । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के विभाग प्रमुखों की साप्ताहिक टी.एल. बैठक लेकर कार्यो की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने सी.एम. हेल्प लाईन शिकायत निराकरण ग्रेडिंग में नगर निगम रतलाम नम्बर 1 आने पर सभी को बधाई प्रेषित कर कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इसी तत्परताए लगन से कार्य कर रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का 3 दिवस में निराकरण किये जाने के निर्देश के साथ ही टी.एल. शिकायतों की समीक्षा कर शिकायतों का निराकरण 7 दिवस में ऑन लाईन कराये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सी.एम. हेल्प लाईन की शिकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर ही किये जाने के निर्देश बैठक में दिये शिकायत उच्च स्तर पर दर्ज ना हो सकें। इसके अलावा विभिन्न आयोगए पी.एम.ए सी.एम. कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण करवाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबंधित को निर्देशित किया।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा करते है व डस्टबीन नहीं रखते है उन पर जुर्माना किये जाने साथ ही खुले में शौच व पेशाब करनेए नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालो पर जुर्माना किया जाये।

आयोजित बैठक मंे उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए श्री भविष्य कुमार खोब्रागड़ेए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए श्रीमती नीता जैनए प्र0 कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए प्रभारी कर्मशाला व प्रकाश विभाग श्री एम0के0 जैनए प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए प्रभारी जलप्रदाय विभाग श्री सत्यप्रकाश आचार्यए लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्राए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए प्रभारी उद्यान विभाग श्री अरविन्द दशोत्तरए निगम सचिव श्री जसवंत जोशीए समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आयुषी पालीवालए प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सिटी मैनेजर श्री कपिल मारोठियाए श्री नितिन तिवारी आदि उपस्थित थे।

चालीस साल पुराना कचरा घर हटाते ही खुश हो गए रहवासी

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत कुम्हारी कुआं क्षेत्र के रहवासी

अब खुद रख रहे है कचरा फैकने वालो की निगरानी

रतलाम 22 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त किया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मित्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। निगम प्रशासन के इन्ही

प्रयासों की कड़ी में शहर के कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली निर्माण का कार्य निरन्तर जारी है। इन्ही प्रयासों के चलते शहर के लक्कड़पीठा क्षेत्र से जुड़ा कुम्हारी कुंआ इलाका है। यहां पर विगत चालीस सालों से शहर के 9 वार्डो को कचरा हर दिन आता था**ए** और देखते ही देखते यहां कचरे का पहाड़ सा बन गया था। निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया के निर्देश पर इस क्षेत्र को कचरा स्थल से मुक्त किया गया तो क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। अब इस क्षेत्र के रहवासी खुद लठैत बन कर कचरा फेकने वालों की निगरानी रख रहे है। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र से बीमारियों का एक बड़ा गढ़ साफ हो गया है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान**ए** मेरी शान**ए** स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों**ए** बागीचों**ए** खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान मंगलवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोग**ए** दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी व मलबा फैलाने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 22 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को

गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलाने पर मनीष जायसवाल सैलाना रोड पर 1000ए कालू-भूरियाए सद्गुरूकृपा मार्बलए बालाजी ऑटो पाटर्ुस सैलाना रोड पर 500.500 अकरम भाईए बुरहानी हार्ड वेयर गीता मंदिर रोडए अवतारए कालू सिंहए सौदान पर 250.250 रूपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

61 दिनों में 93 वॉल्व व 438 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 22 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 22 दिसम्बर तक 93 वॉल्व व 438 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 22 दिसम्बर मंगलवार को कस्तुरबा नगर में राजभोग रेस्टोरेंटए किंग कलेक्शन व श्री कृष्णा स्वीट्स के बाहरए तैलियों की सड़क व कलीमी कालोनी में पाईप लाईन लीकेज को दुरस्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नालो की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 22 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 22 दिसम्बर मंगलवार को मदिना मस्जिदए इंदिरा नगर व चमारिया नाका करमदी रोड बस स्टैण्ड वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा प्रारंभ करवाया गया।

कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित 6 कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त
कारण बताओ सूचना-पत्र जारी
रतलाम 22 दिसम्बर । नगर निगम के उद्यानए स्वास्थ्य व प्रकाश विभाग के ऐसे कर्मचारी जो कि बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित है ऐसे कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अनुपस्थित दिवसों का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना-पत्र जारी किया गया।
प्रकाश विभाग के स्थायीकर्मी अखिलेश निमावत जिनकी ड्यूटी बगैर मास्क वाले व्यक्तियों पर जुर्माना किये जाने हेतु लगाई गई थी किन्तु संबंधित द्वारा विगत 15 दिनों से सौंपे गये दायित्वों का पालन नहीं किये जाने पर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना-पत्र जारी किया गया।
इसी तरह उद्यान विभाग के माली अंसार-अकबर अली जो कि विगत 5 दिनों से बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने से अनुपस्थित दिवसों का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।
इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान सिविक सेंटर शौचालय पर अशोक-छोटेलाल स्थाई कर्मीए बिरियाखेड़ी शौचालय पर शिव-भानुलालए मनोज-प्रभुलाल गैंगकर्मी व धीरज-रमेश 30 दिवस सफाई संरक्षक द्वारा उपस्थित नहीं पाये जाने पर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।
नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये
रतलाम 22 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालयए जिला चिकित्सालयए रैन बसेरा सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण व शौच के लिये शौचालय के उपयोग की दी समझाईश
रतलाम 22 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगाीा संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी। टीम आस्था के सदस्यो द्वारा नगर के खुले क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को शौच हेतु शौचालय के उपयोग की जानकारी दी।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

नागरिकों को दी स्वच्छता एप उपयोग की जानकारी

रतलाम 22 दिसम्बर। रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 22 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिशठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा

संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर **5000.5000** हजार का जुर्माना करेगी।

शास्त्रीनगर में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने **48ए87ए854६.** संपत्तिकर व **16ए97ए450६.** जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम **22** दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-**19द्ध** वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी**ए** उद्योग-धन्धे में गिरावट**ए** सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों**ए** उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में **31** दिसम्बर **2020** तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राषि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर **26** अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो **30** दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर**ए** जलकर**ए** दुकान**ए** गुमटी किराया**ए** लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर **2ए38ए224६.** व जलकर **43ए460६.ए** मालवा नगर षिविर में संपत्तिकर **3ए66ए429६.** व जलकर **43ए830६.ए** जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर **2ए69ए336६.** व जलकर **41ए850६.ए** विनोबा नगर पानी की टंकी के पास षिविर में संपत्तिकर **3ए94ए652६.** व जलकर **1ए06ए050६.ए** अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास षिविर में संपत्तिकर **4ए54ए616६.** व जलकर **84ए000६.ए** तिरूपति नगर में षिविर में संपत्तिकर **55ए700६.** व जलकर **14ए800६.ए** कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर **65ए133६.** व जलकर **18ए430६.ए** इन्द्रलोक नगर षिविर में संपत्तिकर **1ए04ए310६.** व जलकर **37ए520६.ए** कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर **1ए63ए070६.** व जलकर **41ए200६.ए** प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर **54ए244६.** व जलकर **31ए700६.ए** डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर **1ए87ए800६.** व जलकर **13ए500६.ए** हाट रोड माताजी मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर **89ए439६.** व जलकर

29ए500६.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए23ए843६. व जलकर 80ए000६.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 78ए232६. व जलकर 24ए800६.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 95ए424६. व जलकर 46ए350६.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 2ए61ए000६. व जलकर 45ए500६.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 2ए58ए000६. व जलकर 90ए310६.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 2ए39ए000६. व जलकर 1ए58ए845६.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 94ए633६. व जलकर 24ए500६.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए31ए093६. व जलकर 68ए580६.ए महावीर नगर षिविर में जलकर 45ए550६.ए पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 5ए91ए492६. व जलकर 1ए31ए930६.ए चौगानिया भेरू मंदिर षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए109६. व जलकर 1ए26ए280६.ए सायर चबुतरा षिक्षा विभाग के पास आयोजित षिविर में संपत्तिकर 1ए55ए000६. व जलकर 1ए24ए290६.ए चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 2ए65ए000६. व जलकर 2ए31ए675 की एक मुष्त बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित षिविरों मेंेें 48ए87ए854६. संपत्तिकर व 16ए97ए450६. जलकर की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के तहत वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुष्त राषि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये 10ए000६. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000६. ;दस

हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राषि वार्डवार आयोजित बकाया षिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 456 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 22 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 22 दिसम्बर तक 456 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 22 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 456 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 22 दिसम्बर मंगलवार को 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के

तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये **500६.** वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए**0**पी**0** सिंह**ए** झोन प्रभारी श्री किरण चौहान**ए** श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/**22ण12ण2020**ध्न.पा.निगम**ए** रतलाम.